


20.11.24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता के मुनियर-  
अधिवक्ता उपस्थित हुए। जूनियर अधिवक्ता द्वारा पत्रावली  
पर नोट उभे अंकित किया तथा वाद चलाना नहीं चाहता  
है व धन किया गया। पत्रावली का अवलोडन किया गया।  
वादी द्वारा वाद छोड़ना एवं लार्ड त्रिबेणल का विरुद्ध  
सकार पेश होकर साक्ष्य प्रतिबन्धी विवरण नियत है।

अतः वादी का वाद वादी द्वारा नोट उभे अंकित  
करने से अदम रैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय  
अरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नकार  
से कम है।

  
(रियासवी)  
IAS